[2022] 1 एस. सी. आर 215

/

यू. पी. राज्य बनाम

जय डट एंड ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 37) 19 जनवरी, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302 और 326-हत्या-निचली विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि।302 अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करते हुए कि घातक हथियारों से लैस आरोपी व्यक्ति कृषि क्षेत्र में गए थे, पीड़ित (शिकायतकर्ता के पिता) काम कर रहे थे और उन्हें पीट रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को उस यू/एस में बदल दिया।326, मुख्य रूप से इस आधार पर कि घटना के छह दिन बाद पीड़ित की मृत्यु हो गई और उसके सिर पर कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया-औचित्य-आयोजित:न्यायोचित नहीं-केवल इसलिए कि घटना के छह दिन बाद पीड़ित की मृत्यु हो गई, यह दोषसिद्धि को दरकिनार करने का आधार नहीं है।302 और इसे यू/एस में परिवर्तित करें।326 – इसके अलावा, केवल इसलिए कि कोई फ्रैक्चर नहीं देखा गया था और/या पाया गया था, मामले को एस से बाहर नहीं ले जा सकता है।302 जब पीड़ित की मृत्यु सिर की चोट के कारण हुई-सिर पर चोट के कारण शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट लगना कहा जा सकता है और इसलिए एस का एक स्पष्ट मामला है।302 स्थापित और सिद्ध किया जाता है-प्रथम प्रत्यर्थी यू/एस की निचली विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि।302 और दूसरे उत्तरदाता यू/एस।302 आर/डब्ल्यू एस।34, तदनुसार, पुनर्स्थापित।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1.**केवल इसलिए कि मृतक की छह दिन बाद मृत्यु हो गई थी**,** भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **302** के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्धि को दरकिनार करने और इसे भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **326** में परिवर्तित करने का आधार नहीं हो सकता था। मृतक को पहले पीएचसी ले जाया गया**,** हालांकि उसकी हालत गंभीर पाई गई और इसलिए उसे **20.12.1983** पर लखनऊ अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद

इलाज के दौरान **26.12.1983** पर उसकी मौत हो गई और मौत का मुख्य कारण सिर में लगी चोट नं**.1.** यद्यपि उच्च न्यायालय ने पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा देखी गई नौ चोटों पर ध्यान दिया है**,** लेकिन उच्च न्यायालय ने ए में उल्लिखित मृत शरीर पर किसी भी प्रकार की एंटीमॉर्टम चोटों पर ध्यान नहीं दिया है और/या विचार नहीं किया है।

/

/

/

215

पोस्टमार्टम रिपोर्ट।चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृत्यु का कारण सिर पर लगी चोट नं**.1.** हथियार का उपयोग सिर पर किया गया था**-**शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा और अंततः वही घातक साबित हुआ और मृतक की मौत सिर में चोट के कारण हुई।**1.** इसलिए**,** किसी भी तरह से यह मामला भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **326** के अंतर्गत नहीं आएगा। **[**पैरा **7.1] [220-**जी**-**एच**; 221-**ए**-**बी**]**

/

1.2.उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **302** से भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **326** में दोषसिद्धि को परिवर्तित करने के लिए दिया गया एक अन्य कारण यह है कि सिर पर कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया था।हालाँकि**,** यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मृतक की मृत्यु आंतरिक चोटों के कारण हुई थी।पोस्टमॉर्टम करने वाले पीडब्लू**8** के बयान के अनुसार**,** मस्तिष्क प्रबंधन के खुलने पर**,** उन्होंने दोनों अस्थायी खंडों पर मस्तिष्क भीड़भाड़**,** सबड्यूरल हेमेटोमा पाया।इसलिए**,** केवल इसलिए कि कोई फ्रैक्चर नहीं देखा गया था और/या पाया गया था**,** मामले को भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **303** से बाहर नहीं ले जा सकता है**,** जब मृतक की मृत्यु सिर पर चोट के कारण हुई थी।**1.** सिर पर चोट पहुँचाने को शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुँचाना कहा जा सकता है और इसलिए भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **307** का एक स्पष्ट मामला स्थापित और साबित किया गया है।इसलिए**,** निचली न्यायालय ने आरोपी को क्रमशः भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा**302** और भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **302/34** के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया। **[**पैरा **7.2] [221-**सी**-**ई**]**

/

/

/

1.3.यहां तक कि भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **326** पर विचार करने पर भी**,** कोई यह समझने में विफल रहता है कि मामला भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **326** के अंतर्गत कैसे आएगा जब मृतक की वास्तव में गंभीर चोट के कारण मृत्यु हो गई थी और चोटें शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से**-**सिर पर थीं।**[**पैरा **7.3] [221-**ई**-**एफ**]2.** उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त**-**प्रतिवादियों को क्रमशः भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **302** और भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **1** के अंतर्गत अपराध के लिए बरी करने और उन्हें भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **326** के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराने के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।प्रथम प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा**302** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने और दूसरे प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **302/34** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने वाले निचली न्यायालय के निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।प्रतिवादी**-**अभियुक्तों को निचली न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।**[**पैरा **8] [222-**बी**-**सी**]** ए

/

/

/

217

यू. पी. राज्य बनामजय डट एंड ए. एन. आर.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 37।

सी. आर. एल. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 18.09.2019 से। 1987 की अपील No.870।

राणा मुखर्जी, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मेसर्स इक्विटी लेक्स एसोसिएट्स के लिए अंकित गोयल, श्रीमती नगमा इम्तियाज, अहमद जरघम, सैफ नसीम, सुश्री लुबना नाज, सुश्री सोम्या चतुर्वेदी, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

/

1. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 1987 की आपराधिक अपील में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात कर लिया है और अभियुक्त की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 303 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में परिवर्तित कर दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी थी।2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार जब मृतक अपने खेत में काम कर रहा था तो सभी आरोपी वहां पहुंचे और उसे गाली देना शुरू कर दिया।कि मृतक को अभियुक्तों ने पीटा था।सभी अभियुक्तों के पास अलग-अलग हथियार थे।उन सभी ने मृतक को पीटना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप कई चोटें आईं और बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे लखनऊ के अस्पताल ले जाया गया जहां लगभग छह दिनों के बाद उसने दम तोड़ दिया। सभी अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया, सिवाय अभियुक्त नं.1 जय दत्त जिन पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया गया। अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से पीडब्लू1 और पीडब्लू2 घटना के चश्मदीद गवाह थे।पीडब्लू8-डॉ. पी. आर. मिश्रा, जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया, की जांच करके अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज की।निचली न्यायालय ने जय दत्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।विद्वत विचारण न्यायालय ने अन्य अभियुक्त लाल बहादुर, शेर सिंह और शास्त्री को भी भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ धारा 302 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

/

/

/

/

/

2.1 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील को

प्राथमिकता दी।अपील के लंबित रहने के दौरान, आरोपी लाल बहादुर और शेर सिंह की मृत्यु हो गई।इसलिए, उन व्यक्तियों के खिलाफ अपील को निरस्त कर दिया गया।कि आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने शेष अभियुक्त जय दत्त और शास्त्री के खिलाफ उक्त अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात कर लिया है और मुख्य रूप से इस आधार पर कि मृतक की घटना के छह दिन बाद मृत्यु हो गई थी और सिर में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया था, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 303 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में दोषसिद्धि को परिवर्तित कर दिया है।उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 के अंतर्गत अपराध के लिए केवल इस आधार पर दो साल की सजा सुनाई है कि घटना लगभग 36 साल पहले हुई थी और इसलिए दो साल की सजा देना न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

/

/

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में दोषसिद्धि को परिवर्तित करने के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।3. अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में दोषसिद्धि को परिवर्तित करने में भौतिक रूप से गलती की है। 1. 1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अभियुक्तों के खिलाफ फैसला सुनाया है क्योंकि वे मृतक के खेत में गए और झगड़ा शुरू किया और हथियारों का इस्तेमाल किया और चोटें पहुंचाईं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह भी देखा और अभिनिर्धारित किया है कि पीडब्लू1 और पीडब्लू2-चश्मदीद गवाह पूरी तरह से भरोसेमंद हैं लेकिन उनके बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के बावजूद जब मृतक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया और सिर की चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो हत्या का एक स्पष्ट मामला बनाया गया और इसलिए, उच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में दोषसिद्धि को परिवर्तित नहीं करना चाहिए था।

/

/

/

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि मृतक की मृत्यु छह दिनों के बाद हुई थी, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 303 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में

दोषसिद्धि को परिवर्तित करने का आधार नहीं हो सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु के कारण में उल्लिखित चोटों की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है और/या उन पर विचार नहीं किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि सिर पर कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया था, यह आधार नहीं हो सकता है, न कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी दिए गए मामले में किसी व्यक्ति की आंतरिक ए के कारण मृत्यु हो सकती है।

/

/

219

यू. पी. राज्य बनामजय डट एंड ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

वर्तमान मामले की तरह चोटें।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में दोषसिद्धि को परिवर्तित करते समय दिए गए तर्क को विकृत कहा जा सकता है।

4. प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।4.1 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खुर्शीद ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मृतक के सिर पर कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया और घटना के छह दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चोटें इतनी गंभीर और/या गंभीर नहीं थीं, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के लिए सही ढंग से बरी कर दिया है और इसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में परिवर्तित कर दिया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खुर्शीद द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जब मृतक को पहली बार पीएचसी, पीडब्लू 6 Dr.B.L ले जाया गया था। कटियार, जिन्होंने घायल राम औतार (जिनकी बाद में मृत्यु हो गई) के एमएलसी किया, ने नौ चोटों को देखा जो प्रकृति में सरल थीं।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत नहीं आएगा जैसा कि उच्च न्यायालय ने देखा और अभिनिर्धारित किया है।

/

/

/

4.2 अभियुक्त की ओर से पेश हुए श्री खुर्शीद विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में घटना पल भर में हुई थी और मामूली विवाद के कारण झगड़ा हुआ था और मृतक को

मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत नहीं आएगा।

/

5. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को और अधिक खारिज कर दिया जाए, विशेष रूप से जब उच्च न्यायालय पहले ही आक्षेपकर्ता रमन बाबू को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश पारित कर चुका है।6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

/

7. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि साक्ष्य की सराहना पर निचली न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया, जिसने रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य के साथ-साथ पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 के चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए मृतक राम ओतार की हत्या/हत्या की थी।हालाँकि, अभियुक्त द्वारा दायर एक अपील में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि पीडब्लू1 और पीडब्लू2-चश्मदीद गवाह पूरी तरह से भरोसेमंद हैं और उनके बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।हालांकि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को स्वीकार कर लिया है कि 20.12.1983 शाम को सभी चार आरोपी

/

/

220

/

[2022] 1 एस सी आर।

लोग शिकायतकर्ता के खेत में घुस गए और मृतक राम ओतर को गाली देना शुरू कर दिया और सभी आरोपी व्यक्तियों के पास अलग-अलग हथियार थे और उन सभी ने मृतक को पीटना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर पर कई चोटें आईं और उसके बाद जब राम ओतर को अस्पताल ले जाया गया और बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई, तो उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में इस आधार पर परिवर्तित कर दिया कि घटना के छह दिन बाद मृतक की मृत्यु हो गई और उसके सिर पर कोई तथ्य नहीं मिला।हालांकि, उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार राम ऑतर के मृत शरीर पर एंटीमॉर्टम चोटें पाई गईं:

/

/

“1. बाईं आंख की भौंह के ऊपर सिर के बाईं ओर 8 से. मी. x 6 से. मी. खरोंच से घिरा हुआ संदूषण।

2. बाएँ स्कैप्युलर क्षेत्र पर 9 सेमी x 5 स्कैब्ड एब्रेडेड कॉन्ट्यूजन।3. बटॉक के बाईं ओर 6 से. मी. x 5 से. मी. खरोंच से कटा हुआ संदूषण।

/

4. 5 वीं लकड़ी की रीढ़ पर 4 सेमी x 4 सेमी अपवर्तित संदूषण।5. संक्रमित घाव 1.5 से. मी. x 0.5 से., बाएं पैर के बीच में सामने की ओर गहरी एक्स मांसपेशी।

6. बाएँ पैर के ऊपरी आधे हिस्से में 18 से. मी. x 2 से. मी. के क्षेत्र में कई खरोंच वाले घर्षण।

/

7. दाहिने पैर के सामने 22 सेमी 2 सेमी के क्षेत्र पर खरोंचदार घर्षण। "

7.1 पोस्टमॉर्टम करने वाले Dr.P.R. मिश्रा-PW8 के बयान के अनुसार, मस्तिष्क प्रबंधन के खुलने पर, दोनों अस्थायी खंडों पर मस्तिष्क भीड़भाड़, सबड्यूरल हेमेटोमा पाया गया।डॉक्टर के अनुसार मृतक की मौत सिर में चोट के कारण हुई है।1. उपरोक्त चोटें विशेष रूप से सिर की चोट नं।1 घातक था और उक्त चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो गई।केवल इसलिए कि मृतक की छह दिन बाद मृत्यु हो गई थी, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्धि को दरकिनार करने और इसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में परिवर्तित करने का आधार नहीं हो सकता था। मृतक को पहले पीएचसी ले जाया गया, हालांकि उसकी हालत गंभीर पाई गई और इसलिए उसे 20.12.1983 पर लखनऊ अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद इलाज के दौरान 26.12.1983 पर उसकी मौत हो गई और मौत का मुख्य कारण सिर में लगी चोट नं.1. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हालांकि उच्च न्यायालय ने ए.

/

/

/

पी. एच. सी. में चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी. एल. कटियार द्वारा देखी गई नौ चोटों के बारे में उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित राम औतार के मृत शरीर पर किसी भी प्रकार की एंटीमॉर्टम चोटों पर ध्यान नहीं दिया है और/या उन पर विचार नहीं किया है।जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृत्यु का कारण सिर की चोट नं।1. हथियार का उपयोग सिर पर किया गया था-शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा और अंततः वही घातक साबित हुआ और मृतक की मौत सिर में चोट के कारण हुई।1. इसलिए, किसी भी तरह से यह मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 के अंतर्गत नहीं आएगा।

/

7.2.उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 में दोषसिद्धि को परिवर्तित करने के लिए दिया गया एक अन्य कारण यह है कि सिर पर कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया था।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मृतक की मृत्यु आंतरिक चोटों के कारण हुई थी।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मेडिकल साक्ष्य के अनुसार सिर में चोट पाई गई है।सिर की चोट नं।1 ऊपर यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है।डॉ. पी. आर. मिश्रा-पीडब्लू8, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया, के बयान के अनुसार, मस्तिष्क प्रबंधन के खुलने पर, उन्होंने दोनों अस्थायी खंडों पर मस्तिष्क भीड़भाड़, सबड्यूरल हेमेटोमा पाया। इसलिए, केवल इसलिए कि कोई फ्रैक्चर नहीं देखा गया था और/या पाया गया था, मामले को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 303 से बाहर नहीं ले जा सकता है, जब मृतक की मृत्यु सिर पर चोट के कारण हुई थी।1. जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है कि सिर पर चोट पहुँचाना शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुँचाना कहा जा सकता है और इसलिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 303 का एक स्पष्ट मामला स्थापित और सिद्ध किया गया है।इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय ने आरोपी को क्रमशः भारतीय दंड संहिता सी. की धारा302 और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया।7.3 यहां तक कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 पर विचार करने पर भी, हम यह समझने में विफल रहते हैं कि मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 के अंतर्गत कैसे आएगा जब मृतक की वास्तव में गंभीर चोट के कारण मृत्यु हो गई थी और चोटें शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से-सिर पर थीं।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वास्तव में आरोपी शिकायतकर्ता के खेत में गया था जहाँ उसके पिता मृतक राम औतार भी काम कर रहे थे।वे सभी घातक हथियारों के साथ गए और मृतक राम औतार को पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया और तुरंत मृतक राम औतार को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी और उसे पहले पीएचसी और उसके बाद लखनऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।ऊपर बताए गए कारणों से भी उच्च न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अपराध के लिए बरी करने और अभियुक्त को धारा के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराने का आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया गया।

/

/

/

/

/

/

222

/

[2022] 1 एस सी आर।

326 भारतीय दंड संहिता सी. अस्थिर है और रद्द किए जाने और दरकिनार किए जाने के योग्य है और निचली न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल करने की आवश्यकता है।8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील सफल होती है।उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त जय दत्त और शास्त्री को क्रमशः भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 1 के अंतर्गत अपराध के लिए बरी करने और उन्हें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 326 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराने के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।अभियुक्त जय दत्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने और अभियुक्त-शास्त्री को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने वाले विद्वत विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।प्रतिवादी-अभियुक्तों को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

/

/

अब दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए तुरंत हिरासत में ले लिया जाए।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/